एसोशियेट चैम्बर के उपस्थित सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को क्लस्टरवाइज होना चाहिये तथा वहां इन्क्यूवेशन सेन्टर होना चाहिये। इस संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के कार्य क्लस्टर बनाकर ही किये जाते हैं। एम.एस.एम.ई. के क्षेत्र में होने वाले इनोवेशन को आई0आई0टी0, कानपुर द्वारा प्रस्तावित इनोवेशन एवं इण्टरप्रिन्योरशिप (आई0ई0पी0) पार्क में सम्मिलित कर इस पर कार्य किया जायेगा।

सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संबंध में इनोवेशन के कार्यो को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।

बैठक में आई0आई0एम0, लखनऊ, डा0 अनिल कुमार गुप्ता, आई0आई0एम0, अहमदाबाद, गिरि विकास इन्स्टीट्यूट, लखनऊ एवं जी0बी0पन्त इन्स्टीट्यूट आफ सोशल साइन्स, इलाहाबाद एवं दिल्ली के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग नहीं किया, जिस पर खेद व्यक्त किया गया।

अन्त में सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये–

1– डा0ए0पी0जे0ए0के0टी0यू0, लखनऊ द्वारा इन्क्यूवेशन केन्द्र स्थापित किये जाने के लिये अपनी कार्यवाही की जाय, 4 सरकारी संस्थाओं जिसमें इन्क्यूवेशन सेन्टर स्थापित किया जा रहा है, का प्रचार–प्रसार एवं बेवसाइट पर डाला जाय तथा नव–अन्वेषण (इनोवेशन) तथा औद्योगिक समस्याओं के निराकरण के लिये प्राविधिक विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल पर एक लिंक तैयार किये जाने की अपेक्षा की गयी, जिस पर औद्योगिक समस्यायें एवं इनोवेशन संबंधी विचार आदि प्राप्त कर सम्यक कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही– प्राविधिक शिक्षा विभाग/कुलपति, डा0ए0पी0जे0ए0के0टी0यू0, लखनऊ)

2– आई0आई0टी0, कानपुर के प्रतिनिधि से अपेक्षा की गयी कि इनोवेशन तथा इन्टरप्रिन्योरशिप (आई0ई0पी0) पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) शीघ्र प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही–निदेशक, आई0आई0टी0, कानपुर)

3– कृषि विभाग, किसानों/महिला सशक्तीकरण के अन्तर्गत इनोवेशन के संबंध में जो भी कार्य किया जा रहा हो, उसकी प्रगति से नियोजन विभाग को अवगत करायें।

(कार्यवाही–कृषि विभाग/महिला कल्याण विभाग)

4– अगले वित्तीय वर्ष 2016–17 में मूल बजट में इनोवेशन फण्ड की स्थापना हेतु रू0 50.00 करोड़ की धनराशि की उपलब्धता वित्त विभाग द्वारा सुनिश्चित करायी जाय तथा कैबिनेट नोट पर यथाशीघ्र निर्णय से नियोजन विभाग को अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही–वित्त विभाग)

5– इनोवेशन को प्रशासनिक क्षेत्र तक सीमित न रखते हुए असंगठित क्षेत्र को भी सम्मिलित कर इसे व्यापक रूप में करने के निर्णय के संबंध में विकास एजेण्डा के सूत्र सं0–150में यथाशीघ्र संशोधन कर नियोजन विभाग को अवगत करायें।

(कार्यवाही– कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

Scanned by CamScanner